8/9/16 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप करीकेन उभ
पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गई।
वास्ते आदेश दिनांक 26/9/16 को पेश हो।

26/9/16 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप करीकेन उभय
उभय पक्ष मजीद बहस सुनी गई। वास्ते
आदेश दिनांक 3/10/16 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दा०रुजू 31.08.2010

मु०नं०/दावा/ 113/10

उनवान

रामू पुत्र श्री धुन्धी जाति- मीना, नि० भुकरावली तह० हिण्डौन जिला करौली — वादी —	V/S	1. सरकार जरिए जिला कलक्टर करौली 2. रामवीर पुत्र रंगी 3. फूलवती बेवा रंगी 4. रामसहाय, 5. रामखिलाड़ी, 6. श्यामलाल, 7. प्रताप सिंह — पिसरान जोहरी 8. सिरमोहर, 9. सियाराम — पिसरान गोपी जाति सभी मीना निवासी भुकरावली तह हिण्डौन 10. कजोड़ी बेवा गोपी (मृतक) 11. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन 12. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सूरौठ तह. हिण्डौन —प्रतिवादी गण —

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी, जिला-करौली

दावा बाबत इस्तकरारहक व घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती आराजीयात

उप० अभिभावक गण :—
1. श्री उमेश दूबे पैरवी वादी वकील
2.

निर्णय

दिनांक 3.10.16

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यह दावा वादी का नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के कारण पेश हुआ है साबिक आराजी ख०नं० 487 रकबा 2 बीघा, 6 बिस्वा, ख०नं० 488/1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख०नं० 489 रकबा 2 बीघा, 2 बिस्वा, ख०नं० 490 रकबा 3 बिस्वा, एवं ख०नं० 491 रकबा 2 बीघा, 9 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा. 13 बिस्वा वाके ग्राम भुकरावली की खातेदारी जौहरी पुत्र सीतोली के नाम थी. जिसका बंटवारा नामान्तरण सं० 226 के अनुसार जोहरी पुत्र सीतोली के 1/3 हिस्सा, गोपी पुत्र सीतोली 1/3 हिस्सा, एवं च्योरे, रंगी, रामू पिसरान धुन्धी का 1/3 हिस्सा जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 में दर्ज है। वादी का बड़ा भाई च्योरे अविवाहित ला औलाद फौत हो गया। उपरोक्त आराजी ...

1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं० 2,3 जो वादी के भाई रंगी के उत्तराधिकारी है। का 1/3 हिस्सा है।

वादपत्र के मद नं० 2 में अंकन किया है कि मुतजिक्रा मद नं० 1 वादपत्र की साबिक आराजीयात के चकबन्दी होने पर नवीन ख० नं० 404 रकबा 0.04 हे०, 503 रकबा 0.43 हे०, 504 रकबा 0.33 हे० 505 रकबा 0.31 हे० 507 रकबा 0.25 हे०, 515 रकबा 0.18 हे० 516 रकबा 0.20 हे० 517 रकबा 0.22 हे० 518 रकबा 0.51 हे० कुल किता- 9 कुल रकबा 2.47 हे० कायम किया है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आधार वर्ष सम्वत 2047 से नवीन जमाबंदी सम्वत 2062 ता. 2065 में दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं० 3 में अंकन किया है कि दौराने सेटिलमेन्ट जमाबन्दी मे अमल करते वक्त वादी रामू का नाम साफ करते हुए केवल रंगीराम पिसरान चुन्नी हिस्सा 1/3 कर दिया, जबकि रंगी, रामू के नाम से "उ" की माला हटा दी, व दो नामों की जगह एक नाम रंगीराम पिसरान चुन्नी कर दिया जो गलत है। जबकि वादी अपने कब्जे पर काबिज व दखील है। एवं बेरोक टोक काश्त करता चला आ रहा है।

वाद पत्र के मद नं० 4 मे अंकन किया है कि वादी के भाई रंगी का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिस प्रतिवादी, राजबीर सिंह पुत्र रंगी, फूलवती बेवा रंगी के नाम खातेदारी हो चुकी है। जो केवल रंगी के तरके पर काबिज व दखील है।

वादपत्र के मद नं० 5 में यह दर्ज किया है कि वादी ने प० ह० से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नाम दुरुस्त करने को कहा तो दि 15/5/2010 को नाम दुरुस्त करने से मना कर दिया यह सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना आवश्यक रहा।

वाद पत्र के दादरसी मे अर्ज किया है कि दावा बाबत इस्तकरारहक बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अम्र का डिक्री किया जावे कि वादी आराजियात ख० नं० मुतजिक्रा मद नं० 2 वादपत्र में वादी को 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। रंगीराम से हटकर

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ता 9 व 12 बावजूद तामील सूचना अनुपस्थित रहने पर खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी नं० 10 के फौत होने वारिसान पूर्व से रिकार्ड पर होने के कारण वाद में नाम के सम्मुख मृतक अंकित कर दिया गया। प्रतिवादी नं० 11 को वास्ते जवाब पर्याप्त नोर्मस से अधिक अवसर दिये गये किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अन्तत: दिनांक 22.3.12 को जवाब बंद कर दिया गया। इस प्रकार वादी की एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने साक्ष्य में नकल फैसला सहा. भू. प्रबंधन अधिकारी एवं भू. अभि. अधिकारी हिण्डौन दि० 2.03.1987, नकल जमाबंदी सम्वत 2035 से 38 तक ख. नं० 404 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी सं० 2047 से खाता सं० 408 प्रदर्श-2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3, नकल नामान्तरकरण परत 675 ग्राम भुकरावली खाता सं० 414 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी सम्वत 2062 खाता सं० 412 प्रदर्श-5, जमाबन्दी पर्चा सेटलमेन्ट खाता सं: 408 ग्राम भुकरावली-प्रदर्श-6, नकल जमाबंदी सम्वत 2062 ग्राम भुकरावली खाता सं० 412-प्रदर्श-7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 ग्राम भुकरावली खाता सं० 414-प्रदर्श-8, फोटो कॉपी फोटो पहचान पत्र निर्वाचक रजि० पदा० हिण्डौन विधान स० क्षेत्र सं० 086-प्रदर्श-9 परिवार राशन कार्ड छाया प्रति प्रदर्श-10, नोटिस 80 C.P.C. प्रति-प्रदर्श-11, जिला कलक्टर कार्यालय करौली को प्रेषित रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद-प्रदर्श-12, उक्त सभी दस्तावेज रामू पुत्र धुन्धी ग्राम भुकरावली वादी के नाम, पहचान की पुष्टि बावत प्रस्तुत किये हैं। रंगी, रामू पि० धुन्धी की पुष्टि स्पष्ट करती है।

साक्ष्य वादी मे वादी ने दिनांक 03-01-2013 को शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र मे प्रस्तुती को दोहराया विवादित आराजियात की खातेदारी में जमाबंदी मे दर्ज रंगी-राम पि० धुन्धी हिस्सा 1/3 को दुरुस्त किया जाकर रंगी, रामू पि० धुन्धी हिस्सा 1/3 शुद्ध किये जाने की इस्तदुआ की गई है। शपथ पत्र बाबत गवाह वादी श्री प्रकाश मीना पुत्र श्रीलाल, जाति - मीना, निवासी - भुकरावली, तहसील हिण्डौन ने दर्ज किया है कि :- वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता. 10 को भली भांति जानता हूँ। तथा परिचित हूँ। वादी के बाबा का नाम सीतोली था। नामान्तरकरण सं० 226 से जौहरी पुत्र सीतोली 1/3 हिस्सा, गोपी पुत्र सीतोली 1/3 हिस्सा, एवं हमारे, रंगी, रामू पिसरान धुन्धी, का हिस्सा 1/3 आया।

Scanned by CamScanner

वादी-रामू एवं रंगी के वारिसान प्रतिवादी नं० 2-राजवीर, प्रतिवादी नं० 3-फूलवती अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज हैं। दौराने सेटिलमेन्ट रामू का नाम हजफ करते हुए रंगी राम कर दिया गया वह गलत है। रंगी एवं रामू दो भाई थे। रंगी व रामू दोनो अलग अलग नाम है। दोनो का पैत्रिक आराजियात पर हिस्सेनुसार कब्जा है। जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में रंगी राम हजफ करते हुए दोनो रंगी एवं रामू का नाम दर्ज किया जावे।

वकील वादी की इकतरफा बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-88 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में वादी की खातेदारी दर्ज करते हुए, राज० भू० राजस्व अधिनियम की धारा-136 के तहत चकबन्दी के बाद राजस्व रिकार्ड में खातेदारान नाम मे हुई त्रुटि को दुरुस्त करने के अभिवचन किये।

वकील वादी की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पर मनन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे की दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल में विवादित आराजियात ख०नं० 404, 503, 504, 505, 507, 515, 516, 517, 518 कुल किता-9 कुल रकबा 2.47 है० में रंगीलाल पुत्र धुन्धी हिस्सा बराबर 1/3 हजफ करते हुए फूलवती बेवा रंगीलाल, राजवीर पुत्र रंगीलाल हिस्सा बराबर 1/6 एवं रामू पुत्र धुन्धी हिस्सा 1/6 दर्ज किया जावें। पर्चा डिक्री जारी होकर तहसीलदार हिण्डौन उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 03.10.2016 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

उपखण्ड अधिकारी ... करौली

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन व

इजलास श्री रामावतार शर्मा RAS

उनवान

रामू पुत्र चुन्दी
मीना
नि० मुकरावली
तह० हिण्डौन

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली
2. राजवीर पुत्र रंगी, 3. फूलवती बेवा रंगी
4. रामप्रताप 5. रामखिलाडी 6. श्यामलाल
7. प्रतापसिंह ~~8. सिरमोहर~~ पि० जोहरी
8. सिरमोहर, 9. सियाराम पि० गोपी
10. कमोदी बेवा गोपी (मृतक)
समीजाति-मीणा, नि० मुकरावली
11. तहसीलदार हिण्डौन
12. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सूरौठ

दावा बाबत् इस्तकरार हक, घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती मुकदमा नं० 113 सन् 2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री दिनेश दत्तात्रेय एडवोकेट व हाजिरी मिनकानिब गुदई रूबरू जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल मे विवादित आराजीयात ख० नं० 404, 503, 504, 505, 507, 515, 516, 517, 518 कुल किता 9 कुल रकबा 2.47 है० मे से रंगी पुत्र चुन्दी का हिस्सा बराबर 1/3 हजफ करते हुए, फूलवती बेवा रंगी एवं राजवीर पुत्र रंगी हिस्सा बराबर 1/6 एवं रामू पुत्र चुन्दी वादी का हिस्सा 1/6 दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। तहसीलदार हिण्डौन डिक्री पालना कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करावे।

मुबलिग ---- बाबत ---- खर्चा इस मुकदमे के मय

शरह ---- फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

---- का अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 10 सन् 2016 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [signature]

ओहदा उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दाबा	2	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2	–
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
गवाह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिशनर		
कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner